

उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

चतुर्थ एवं पंचम तल, गन्ना किसान संस्थान, न्यू बेरी रोड, लखनऊ

ई-मेल: up-cexo@nic.in

पत्रांक: ५४४६ / १-२५२ / यूपीआरआरडीए / २०२२

दिनांक: १५/११/२०२२

सेवा में,

समस्त अधिशासी अभियन्ता

पी०आई०यू०, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग / लोक निर्माण विभाग

उत्तर प्रदेश।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-३ के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों में सर्फेस ड्रेसिंग (पी-१ एवं पी-२) के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप भिन्न हैं कि पीएमजीएसवाई-३ के अन्तर्गत टी-५ ट्रैफिक कैटेगरी तक के निर्माणाधीन मार्गों पर सर्फेसिंग कोर्स में ०२ कोट सर्फेस ड्रेसिंग (पी-१ एवं पी-२) का कार्य मैकेनिकल विधि से किया जाना है। यह संज्ञान में आया है कि कतिपय पी०आई०यू० द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

1. मार्गों की ग्रेनुलर सतह पर प्राईम कोट का कार्य एस०एस०-१ ग्रेड इमल्शन से किया जाना है, जिसमें पृथक से जल का मिश्रण न होने दे तथा इमल्शन का डिस्ट्रिब्यूशन मैकेनिकल प्रेशर डिस्ट्रिब्यूटर द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
2. सर्फेस ड्रेसिंग में टैक कोट हेतु विशिष्टियों के अनुसार टार ब्यालर का प्रयोग करते हुये निर्धारित तापमान में बिटुमिन स्प्रेडर से निर्धारित मात्रा में स्प्रेडिंग कराना सुनिश्चित करें।
3. सर्फेस ड्रेसिंग में प्रयुक्त होने वाले ग्रिट को अनिवार्य रूप से चिप्स स्प्रेडर से ही स्प्रेडिंग कराना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। यदि पी०आई०यू० द्वारा इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बरती जाती है तो इस सम्बन्धित पी०आई०यू० का दायित्व निर्धारित करते हुये उनके विरुद्ध आवश्यक शासकीय कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

भवदीय
१५/११/२२

(भानु चन्द्र गोस्वामी)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी


पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
2. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई सेल, लो०नि०वि० / ग्रा०अ०वि०, उ०प्र०।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, लो०नि०वि० / ग्रा०अ०वि०, उ०प्र०।
5. मुख्य अभियन्ता / राज्य गुणवत्ता समन्वयक, यूपीआरआरडीए।
6. राज्य तकनीकी अधिकारी, यूपीआरआरडीए।

(भानु चन्द्र गोस्वामी)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी



उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

चतुर्थ एवं पंचम तल, गन्ना किसान संस्थान, न्यू बेरी रोड, लखनऊ

ई-मेल: up-cexo@nic.in

पत्रांक: 4886 /T-252 /यूपीआरआरडीए/2022

दिनांक: 15/11/2022

सेवा में,

समस्त अधिशासी अभियन्ता

पी०आई०यू०, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/लोक निर्माण विभाग

उत्तर प्रदेश।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों में सर्फेस ड्रेसिंग (पी-1 एवं पी-2) के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप भिन्न हैं कि पीएमजीएसवाई-3 के अन्तर्गत टी-5 ट्रैफिक कैटेगरी तक के निर्माणाधीन मार्गों पर सर्फेसिंग कोर्स में 02 कोट सर्फेस ड्रेसिंग (पी-1 एवं पी-2) का कार्य मैकेनिकल विधि से किया जाना है। यह संज्ञान में आया है कि कतिपय पी०आई०यू० द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

1. मार्गों की ग्रेनुलर सतह पर प्राईम कोट का कार्य एस०एस०-1 ग्रेड इमल्शन से किया जाना है, जिसमें पृथक से जल का मिश्रण न होने दे तथा इमल्शन का डिस्ट्रिब्यूशन मैकेनिकल प्रेशर डिस्ट्रिब्यूटर द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
2. सर्फेस ड्रेसिंग में टैक कोट हेतु विशिष्टियों के अनुसार टार ब्यालर का प्रयोग करते हुये निर्धारित तापमान में बिटुमिन स्प्रेडर से निर्धारित मात्रा में स्प्रेडिंग कराना सुनिश्चित करें।
3. सर्फेस ड्रेसिंग में प्रयुक्त होने वाले ग्रेट को अनिवार्य रूप से चिप्स स्प्रेडर से ही स्प्रेडिंग कराना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। यदि पी०आई०यू० द्वारा इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बरती जाती है तो इस सम्बन्धित पी०आई०यू० का दायित्व निर्धारित करते हुये उनके विरुद्ध आवश्यक शासकीय कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

भवदीय

(भानु चन्द्र गोस्वामी)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
2. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई सेल, लो०नि०वि०/ग्रा०अ०वि०, उ०प्र०।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, लो०नि०वि०/ग्रा०अ०वि०, उ०प्र०।
5. मुख्य अभियन्ता/राज्य गुणवत्ता समन्वयक, यूपीआरआरडीए।
6. राज्य तकनीकी अधिकारी, यूपीआरआरडीए।

(भानु चन्द्र गोस्वामी)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी